

राजस्थान सरकार
आयोजना (बीस सूत्री कार्यक्रम) विभाग

क्रमांक: प.1(4)आयो/बीसूका/जि. स्त. कमेटी/2022

जयपुर, दिनांक:

आज्ञा

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.7(20)प्र.सु./अनु.3/82, दिनांक 02.03.1994 के अनुसरण में बीस सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन एवं समन्वय हेतु जिला नागौर के लिए प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तर पर निम्नानुसार प्रथम स्तरीय समिति गठित की जाती है:-

1.	श्री जाकिर हुसैन गैसावत	उपाध्यक्ष
2.	श्रीमती सुनीता जाट	प्रधान, पं.स. डेगाना सदस्य
3.	जिमना देवी	प्रधान, पं.स. जायल सदस्य
4.	मंजू देवी	प्रधान, पं.स. मौलासर सदस्य
5.	श्रीमती गीता सोलंकी, मकराना, नागौर	सदस्य
6.	श्री अशोक कुमार चौहान पुत्र श्री मोहनलाल जी, परबतसर, नागौर	सदस्य
7.	श्री रामचन्द्र मीणा, मु.पो. बरजन, तह. नावां, नागौर	सदस्य
8.	श्री दिनेश कुमार देवडा, नागौर	सदस्य
9.	श्री दिलफराज खान, नागौर	सदस्य
10.	श्री हारून रसीद, डेगाना, नागौर	सदस्य
11.	श्री हरिराम जाखड़, पूर्व पार्षद, नागौर	सदस्य
12.	श्री भंवरा राम डूडी, मकराना, नागौर	सदस्य
13.	श्री मांगीलाल डांगा, पूर्व विधायक, मेडता, नागौर	सदस्य
14.	श्री महावीर सिंह/श्री हड़मान सिंह, ग्रा. अलाय तह. नागौर	सदस्य
15.	श्री रामचन्द्र जारोड़ा, पूर्व विधायक, मेडता, नागौर	सदस्य
16.	श्री हबीबुर्रहमान, पूर्व विधायक, नागौर	सदस्य
17.	श्री कन्हैयालाल गुर्जर, गोटन	सदस्य
18.	श्री सुखवीर सिंह चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष, नागौर	सदस्य
19.	श्री रवि पटेल, लाडनूं, नागौर	सदस्य
20.	श्री लियाकत अली, लाडनूं, नागौर	सदस्य
21.	श्री सहदेव चौधरी, नागौर	सदस्य
22.	श्री श्रवण कुमार रैगर, चेनार	सदस्य
23.	श्री नारायण सिंह, पूर्व सरपंच, गोटन	सदस्य
24.	श्री हनुमान बागडा, नागौर	सदस्य

Signature valid

Digitally signed by Sushil Kumar Kulhari
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2023.04.06 13:59:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3574226



25.	श्री असलम चौधरी, मकराना, नागौर	सदस्य
26.	श्री राजकुमार सोनी, मु.पो. राजलिया, तह. नावां	सदस्य
27.	श्री अनूप विश्णोई, अलाय	सदस्य
28.	श्री रामधन चौधरी, नावां, नागौर	सदस्य
29.	जिला प्रमुख	सदस्य
30.	अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद् एवं प्रशासक	सदस्य
31.	संबंधित विभागों के प्रभारी अधिकारी	सदस्य
32.	अतिरिक्त जिलाधीश (विकास) एवं परियोजना निदेशक	सदस्य
33.	मुख्य अधिशाषी अधिकारी एवं सचिव जिला परिषद	सदस्य
34.	जिलाधीश एवं जिला विकास अधिकारी	सदस्य सचिव
35.	मुख्य आयोजना अधिकारी	संयोजक

समिति की बैठक में जिले की पंचायत समितियों के प्रधान आदि, अध्यक्ष द्वारा जब आवश्यकता अनुभव की जावे, आमन्त्रित किये जा सकेंगे। इस समिति का प्रशासनिक विभाग आयोजना (बीसूका) विभाग होगा। यह समिति बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन की अवधि तक क्रियाशील रहेगी। समिति निम्न प्रकार से कार्य करेगी:—

1. समिति प्रत्येक माह के लिए प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों, उपलब्धियों, कार्यक्रम, प्रक्रियाओं, कठिनाईयों एवं क्रियान्वयन संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करेगी।
2. समिति विभिन्न सूत्रों के अन्तर्गत जन सहयोग के लिए प्रक्रियाओं को तय करने तथा जुटाने की व्यवस्था करेगी।
3. कार्यक्रम में केवल लक्ष्यों की प्राप्ति ही नहीं, अपितु उनके गुणात्मक स्तर को भी देखा जावेगा। प्राप्त उपलब्धियों का समिति सत्यापन कर सकेगी।
4. इस समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से बुलाई जावेगी तथा समिति की दो बैठकों का अन्तराल डेढ़ माह से अधिक नहीं होगा।

इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल अग्रिम आदेशों तक रहेगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(सुशील कुमार कुलहरी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Sushil Kumar Kulhari
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2023.04.06 13:59:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3574226



4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान।
5. विशेषाधिकारी, मा0 उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति, राजस्थान।
6. विशेषाधिकारी, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (बीस सूत्री कार्यक्रम से सम्बन्धित)।
8. सचिव, निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जयपुर।
10. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर।
11. जिला कलेक्टर, नागौर को भेजकर अनुरोध है कि संबंधित सदस्यों को जारी की गई आज्ञा की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
12. उपाध्यक्ष, बीस सूत्री कार्यक्रम जिला प्रथम स्तरीय समिति, जिला नागौर।
13. समस्त सदस्य (जिला कलेक्टर के माध्यम से)।
14. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

नोट:— समिति में प्रस्तावित माननीय सांसदों/विधायकों का मनोनयन माननीय लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरान्त किया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Sushil Kumar Kulhari
Designation : Joint Secretary To
Government
Date: 2023.04.06 13:59:14 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3574226

